रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232713
CG-DL-E-18012022-232713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

गृह मंत्रालय

(संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 246(अ).—केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्र का विलय) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की बाबत निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधियों और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) पांचवां आदेश, 2022 है।

   (2) यह राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ही, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों का, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाए, इस आदेश से संलग्न अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन, प्रभावी होगा या यदि इस प्रकार निदेशित किया जाए तो यह निरसित हो जाएगा।

4. जहां इस आदेश में यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम या विनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या किसी भाग में कतिपय शब्दों के लिए कतिपय अन्य शब्द रखे जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा, वहां ऐसे प्रतिस्थापन या लोप, जैसा भी मामला हो, उसके सिवाय जहां इसके लिए अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किया जाएगा, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आते हैं।

5. इस आदेश के उपबंध, जो किसी राज्य विधि या किसी विनियम को अनुकूलित या उपांतरित या निरसित करते हैं ताकि उस रीति, जिसमें प्राधिकरण, जिसके द्वारा या विधि, जिसके अधीन या जिसके अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोग किए जाने योग्य हैं, को परिवर्तित किया जा सके, किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, जब्ती, उपविधि, नियम या विनियम, जो सम्यक रूप से बनाया गया है या जारी किया गया है या तारीख 26 जनवरी, 2020 से पूर्व सम्यक रूप से किए गए किसी कार्य को अमान्य नहीं करेंगे; तथा किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, जब्ती, उपविधि, नियम, विनियम या किसी अन्य चीज का प्रतिसंहरण परिवर्तन या निरसन समान रीति में, समान विस्तार तक और समान परिस्थितियों में किया जा सकेगा, मानो यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार, इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात बनाया गया था, जारी किया गया था या किया गया था।

6. (1) अधिनियम या विनियम की किसी धारा या उपबंध के लोप या संशोधन या इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होगा —

(a) इस प्रकार लोप या संशोधित या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध या विनियम या विधि या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई किसी चीज का पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

(b) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता ;

(c) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के विरूद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

(d) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) या यह आदेश प्रवृत्त नहीं हुआ था।

(2) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन, किसी ऐसी विधि या विनियमों के अधीन की गई कोई चीज या कोई कार्रवाई (की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित उपविधि या स्कीम, प्राप्त प्रमाण-पत्र, दिया गया अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार सहित) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर अब विस्तारित और लागू विधियों के तत्स्थायी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव राज्य क्षेत्र में अब विस्तारित विधियों के अधीन की गई किसी चीज या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं किया गया हो।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधि

दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार विनियमन, 1971

(1971का 3)

(तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तक यथाविस्तारित)

1. मूल विनियम में, ''दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे वृहत नाम, संक्षिप्त नाम और धारा 2 की उप-धारा (1) में के सिवाय आते हैं, ''दमण और दीव'' शब्द रखे जाएंगे।

2. उद्देशिका में, '' दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में अलवारा और तेरम के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए, अलवारा और तेरेम धारकों और उनके किरायेदारों को अधिभोग का अधिकार प्रदान करने के लिए, कृषि भूमि के कब्जे अधिकतम सीमा अधिरोपित करने के लिए, ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक धारित भूमि के अर्जन और वितरण का उपबंध करने के लिए और भू-स्वामी तथा किरायेदारों के संबंध को नियंत्रित करने के लिए'' के स्थान पर ''दमण और दीव में कृषि भूमि के कब्जे की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने के लिए और ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक धारित भूमि के अर्जन का उपबंध करने के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा-1 उप-धारा (1) के, अंत में ''दमण और दीव तक यथाविस्तारित'' अंत:स्थापित करें।

4. धारा 2 में-

i) उप-धारा (1)में, ''हवेली'' शब्द के पश्‌चात ''दमण और दीव'' शब्द अंत:स्थापित करें।

ii) उप-धारा (2) में, ''कृषि संबंधी'' शब्द के पश्चात ''और'' शब्द के स्थान पर ''भूमि'' शब्द रखें।

iii) उप-धारा (3) के खंड (ख) में, ''किंतु वन भूमि शामिल नहीं है'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

iv) उप-धारा (7), (8), (20), (30), (31) और (34) का लोप करें।

v) उप-धारा (9) में-

(क) "20 अगस्त, 1964'' तथा 'दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए भूमि सुधार आयोग नियुक्त किया गया'' शब्दों का लोप करें।

(ख) ''से अभिप्रेत है'' शब्द के पश्चात ''19 अक्तूबर, 2019'' अंत:स्थापित करें।

(ग) ''जो'' के पश्चात ''दमण और दीव तक विस्तारित किए जाने वाले इस विनियम का प्ररूप सुझावों और आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया गया था'' अंत:स्थापित करें।

(vi) उप-धारा (11) में, ''दादरा और नागर हवेली'' शब्दों के स्थान पर ''दमण और दीव'' शब्द रखें।

(vii) उप-धारा (19) में, शब्द ''दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971'' के स्थान पर ''गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968'' शब्द रखें।

(viii) उप-धारा (22) में-

(क) ''मामला'' के स्थान पर ''रोकड़'' शब्द रखें।

(ख) स्पष्टीकरण 3 में "broughter" शब्द के स्थान पर ''भाई'' शब्द रखें।

(ix) उप-धारा 29 में-

(क) खंड (ii)का लोप करें,

(ख) ''किंतु इसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सरकार के अधीन कोई अलवारा धारक, तेरेम धारक और अस्थायी पट्टेदार शामिल नहीं है'' का लोप करें।

5. मूल विनियम में, अध्याय II का लोप किया जाएगा।

6. धारा 7 में-

(i) खंड (क) में ''भूमि, जिसका कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है या जो उपयोग योग्य नहीं है'' शब्दों के स्थान पर ''भूमि जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि से पहले गैर कृषि भूमि के रूप में घोषित किया गया है'' शब्द रखें।

(ii) धारा 7 में, उप-धारा (च) का लोप किया जाएगा।

7. धारा 8 में-

क. (i) ''अनंतिम''और ''हेक्टोरेस'', जहां कहीं वे आएं, के स्थान पर ''उपबंध'' और ''हेक्टेयर'' शब्द रखें;

(ii) अंक ''7.5'', "11" और '16'' के स्थान पर अंक ''6.071'', ''8.91'' और "15" रखें;

ख. (i) उप-धारा (2) में, "अधिक के अधीन गिरने" शब्दों के पश्चात "कि" के स्थान पर "से" रखें;

(ii) अंक "1-45" के स्थान पर अंक "1.45" रखें।

8. धारा 9 की उप-धारा (1) में, "विल्लंगम" शब्द के पश्चात आने वाले शब्दों "परंतु जहां व्यक्ति एक संयुक्त कुटुम्ब है, ऐसे कुटुम्ब के प्रत्येक व्यस्क पुरुष सदस्य को अधिभोग का अधिकार होगा" का लोप करें।

9. धारा 9 में-

(i) उप-धारा (1) के खंड (ii) में, "इस प्रकार कुटुम्ब" शब्दों के पश्चात आने वाले "ऐसे" शब्द के स्थान पर "बहुत" शब्द रखें;

(ii) उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में, "उप-धारा और उप-धारा (3)" शब्दों के स्थान पर "धारा" शब्द रखें;

(iii) उप-धारा (5) का लोप करें।

10. धारा 10 में-

क. (i) उप-धारा (1) के खंड (ख) के पहले परंतुक का लोप करें;

(ii) उप-धारा (1) के खंड (ख) में "आगे" का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-धारा (1) के खंड (ख) में "छोड़ दें" शब्द के स्थान पर "रिट" शब्द रखें;

ख. उप-धारा (2)में-

(i) "सेकेंड" शब्द का लोप करें।

(ii) "ताहे" शब्द के स्थान पर "उस" शब्द रखें।

11. धारा 11 की उप-धारा (3) में, "रजिस्ट्रीकृत जब तक कोई घोषण न हो" शब्दों के पश्चात "में" शब्द अंत:स्थापित करें।

12. मूल विनयम के अध्याय IV के शीर्षक में "और अधिभोग का अधिकार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. मूल विनयम के अध्याय IV में, धारा 13, 18, 19 और 20 का लोप किया जाएगा।

14. धारा 14 में-

(i) "वहां भुगतान किया जाएगा" से पहले " अंक "(1)" को अंत:स्थापित करें;

(ii) "और धारा 13 की उप-धारा (5) और धारा 16 के उपबंध, यथासंभव ऐसी भूमि के संबंध में लागू होंगे जिनके बारे में अल्वारा या तेरेम की स्वीकृति दी गई है" शब्दों का लोप करें।

(iii) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"(2) जहां निहित तारीख को, कोई भवन या अन्य संरचना है, इस प्रकार संदेय प्रतिकर को ऐसे भवन या संरचना के मूल्य के बराबर किसी रकम से बढ़ाया जाएगा जो विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अुनसार, जो विहित किए जाएं अवधारित किया जा सके।"

15. धारा 16 की उप-धारा (1) में—

(i) "कोई", "नियुक्त" और "अल्वारा धारक या तेरेम धारक, जैसा भी मामला हो", शब्दों के स्थान पर क्रमश: "प्रत्येक", "विभाजित" और "भू-स्वामी" शब्द रखें;

(ii) शब्द "किरायेदार द्वारा धारित" शब्दों से पहले "जो अध्याय III के अधीन सरकार में निहित है" अंत:स्थापित करें;

(iii) "जिसके संबंध में अल्वारा या तेरेम स्वीकृत किया गया है और जिसके संबंध में धारा 4 के अधीन किराएदार को अधिभोग का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है"शब्दों का लोप करें।

16. धारा 16 की उप-धारा (2)में-

(i) अंक "5" और "13" के स्थान पर क्रमश: अंक "2" और "14" रखें;

(ii) "अल्वारा धारक या तेरेम धारक या" शब्दों का लोप करें।

17. धारा 17 में, "नकद में" शब्दों का लोप करें।

18. धारा 21 में-

(i) "अल्वारा धारक, तेरेम धारक", जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "भू-स्वामी"शब्द रखें।

(ii) उप-धारा (3) में, "मानचित्र" शब्द के स्थान पर "सकें" शब्द रखें।

(iii) उप-धारा (5) में, "उसके लिए" शब्द के स्थान पर "उसके" शब्द रखें।

19. धारा 22 की उप-धारा (1) में-

(i) खंड (क) में, "अल्वारा या तेरेम स्वीकृत किया गया है" का लोप करें।

(ii) खंड (च), (ज) और (ञ) का लोप करें।

20. धारा 23 का लोप करें।

21. धारा 24 की उप-धारा (1) में, "धारा 13 या" शब्दों का लोप करें।

22. धारा 25 का लोप करें।

23. धारा 26 में-

(i) उप-धारा (1) के खंड (i) का लोप करें;

(ii) खंड (ii) को खंड (i) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा;

(iii) खंड (iii) में अंक "53" के स्थान पर अंक "42" रखें;

(iv) खंड (ii) को खंड(iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

24. धारा 27 में उप-धारा (1) के खंड (v) का लोप करें।

25. धारा 29 में-

(i) उप-धारा (1) में, "सदस्य" शब्द के स्थान पर "रीति" शब्द रखें।

(ii) उप-धारा (3) में, 'आबंटिती" शब्द के पश्चात "एकमुश्त या में" अंत:स्थापित करें।

26. धारा 34 की उप-धारा (2) में-

(i) "दो सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार" शब्द रखें;

(ii) "भू-स्वामी की ओर से विहित प्राधिकारी द्वारा इस रीति से और ऐसी शर्तो (जिनमें भू-स्वामी को किराया संदाय की कोई शर्त शामिल है) के अधीन, जो विहित किया जाए, पट्टे पर दिया जा सकेगा और ऐसे प्रत्येक पट्टे को धारा 32 के अधीन प्रदान किए जाने वाला पट्टा समझा जाएगा" के स्थान पर "सभी विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित होगा" शब्द रखें।

27. धारा 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 और 43 का लोप करें।

28. धारा 44, 45, 46 और 47क में "कलेक्टर" के स्थान पर "अपील प्राधिकारी" शब्द रखें।

29. धारा 45 की उप-धारा (3) में, "enquiryesednaspmayeem" शब्द के स्थान पर "संक्षिप्त जांच, जैसा वह समझे" शब्द रखें।

30. धारा 46 में, "dh,ias," और "aub motu" शब्दों के स्थान पर "आदेश" और "स्व प्रेरणा से" शब्द रखें।

31. धारा 47क में-

(i) "प्रशासक" शब्द के पश्चात "या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति", अंत:स्थापित करें;

(ii) "उसकी अपनी लागत" शब्दों से पहले "पर" शब्द अंत:स्थापित करें;

(iii) "विहित प्राधिकारी आदि के समक्ष विधि व्यवासियों द्वारा विधिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किए जाने वाले पक्षकार" शब्दों का लोप करें।

32. धारा 48 में, "सिविल न्यायालय" शब्दों के पश्चात आने वाले शब्द "जबकि" का लोप करें।

33. धारा 50 में-

(i) "या अधिभोग कीमत" और "संदर्भ के रूप में" का लोप करें।

(ii) "धारा 4 की उप-धारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्यावर्तन की तारीख पर" और "जिस तारीख को धारा 42 के अधीन किरायेदार को भूमि का कब्जेदार समझा जाए" शब्दों का लोप करें।

34. धारा 53 में, ''पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखें।

35. धारा 56 की उप-धारा (2) में-

(i) खंड (क), (ख), (छ), (झ), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प) और (फ) का लोप करें।

(ii) खंड (ग) में ''सेकेंड'' शब्द का लोप करें।

(iii) खंड (च) में, अंक ''5''और ''13'' के स्थान पर क्रमश: "2" और "14" रखें।

(iv) खंड (ट) में, ''धारा 13, या'' शब्द का लोप करें।

(v) खंड (ब) में, अंक ''55'' के स्थान पर ''45'' रखें।

[फा. सं. यू.-11025/2/2020-यू.टी.एल.]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Union Territory Division)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely: –

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Laws and Presidential Regulations) Fifth Order, 2022.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. On and from the date of publication of this Order, the Acts and Regulations mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of Act or Regulation, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th day of January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The omission or amendment of any section or provision of Act or Regulation or repeal of any Law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

   (a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;

   (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such section or provision so omitted or repealed;

   (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any section or provision so omitted or repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019(44 of 2019) or this Order had not come into force.

(2) Subject to the provisions contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

SCHEDULE

(See paragraph 3)

STATE LAW

The Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971

(3 of 1971)

(as extended to erstwhile Union Territory of Dadra and Nagar Haveli)

1. In the principal Regulation, for words "Union Territory of Dadra and Nagar Haveli" where they occur except in the long title, short title and sub-section (1) of section 2, the words "Daman and Diu" shall be substituted.

2. In the preamble, for "to abolish Alwara and Terem tenures, to confer occupancy rights on Alwara and Terem holders and their tenants, to impose a ceiling on possession of agricultural lands, to provide for acquisition and distribution of land held in excess of such ceiling and to regulate the relation of Landlords and tenants, in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli." substitute "impose a ceiling on possession of agricultural lands and to provide for acquisition of land held in excess of such ceiling in the Daman and Diu".

3. In the principal Regulation, for word "celling" wherever it occurs, substitute "ceiling".

4. In section 1, in sub-section (1), at the end insert ", as extended to the Daman and Diu".

5. In Section 2. -

(i) in sub-section (1),after the word "Haveli" insert "Daman and Diu";

(ii) in sub-section (2), after the word "agricultural", for word "and" substitute "land";

(iii) in clause (b) of sub-section (3),the words "but does not include forest land" shall be omitted;

(iv) omit sub-sections (7), (8), (20), (30), (31) and (34);

(v) in sub-section (9). -

(a) Omit the words "20th day of August, 1964," and "Land Reforms Commission for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli was appointed";

(b) after the words "means the" insert "19th day of October, 2019";

(c) after the words "which the" insert "draft of this Regulation as to be extended to the Daman and Diu was published for suggestions and objections;";

(vi) in sub-section (11), for words "Dadra and Nagar Haveli" substitute "Daman and Diu";

(vii) in sub-section (18), for word "lendlord" substitute "landlord";

(viii) in sub-section (19), for words "Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971" substitute "Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968";

(ix) in sub-section (22). -

(a) for word "case" substitute "cash";

(b) in Explanation 3, for word "broughter" substitute "brother".

(x).in clause (iii) of sub-section (23), for word "women" substitute "woman".

(xi) in sub-section (29).-

(a) omit clause (ii);

(b) omit the words "but does not include an Alwara holder, a Terem holder and a temporary lessee under the Government referred to in Section 5.".

6. In the principal Regulation, the Chapter II, shall be omitted.

7. In section 7.-

(i) in clause (a), for words "land which is not used or capable of being used for the purpose of agriculture" substitute "land which has been declared as non-agricultural land by the competent authority before the appointed date";

(ii) in section 7, sub-section (f) shall be omitted.

8. In the section 8.-

A. (i) for words "provisional" and "hectores" wherever they occur substitute "provision" and "hectares";

(ii) for figures "7.5", "11", and "16", substitute "6.071", "8.91" and "15";

B. (i) in sub-section (2), after the words "falling under more" for word "that" substitute "than";

(ii) for the numbers and figure "1-45" substitute "1.45".

9. In section 9, in sub-section (1), after the word "encumbrances", omit the words "Provided that there the person is a joint family, each major male member of such family shall be entitled to possess:".

10. In section 9.-

(i) in clause (i) of sub-section (1), for word "possesn" substitute "possess";

(ii) in clause (ii) of sub-section (1), after the words "family, so" for words "such" substitute "much";

(iii) for word "posses" substitute "possess";

(iv) in sub-section (3), for word "possessed" substitute "possess";

(v) in Explanation to sub-section (3), for words "sub-section and sub-section (3)" substitute "section";

(vi) omit sub-section (5).

11. In section 10.-

A. (i) omit first proviso to clause (b) of sub-section(1);

(ii) in clause (b) of sub-section (1), the word "further" shall be omitted;

(iii) in clause (b) of sub-section (1), for word "quit" substitute "writ";

B. in sub-section (2).-

(i) omit the word "second".

(ii) for word "tahe" substitute "that".

12. In section 11. In sub-section (3), after the words "registered unless a declaration" insert "in".

13. In Chapter IV of the principal Regulation, in the heading the words "and Occupancy Rights" shall be omitted.

14. In Chapter IV of the principal Regulation, omit sections 13, 18, 19 and 20.

15. In section 14.-

(i) before the words "There shall be paid", insert the expression and figure "(1)";

(ii) omit "and the provisions of sub-section (5) of section 13 and section 16 shall, so far as may be, apply in relation to such land as they apply in relation to any land in respect of which an Alwara or Terem has been granted".

(iii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(2) Where on the vesting date, there is any building or other structure, the compensation so payable shall be increased by an amount equal to the value of such building or structure which may be determined by the prescribed authority in accordance with such rules as may be made."

16. In section 16.in sub-section (1).-

(i) for words "any", "appointed" and "Alwara holder or the Terem-holder, as the case may be," substitute the words "every", "apportioned" and "landlord" respectively;

(ii) before the words “held by the tenant” insert the words “which vests in the government under chapter III”;

(iii) omit the words “in respect of which an Alwara or a Terem has been granted and in respect of which occupancy rights are not deemed to have been granted to the tenant under section 4”.

17. In section 16. in sub-section (2).-

(i) for figures “5” and “13” substitute the figures “2” and “14”;

(ii) omit the words “the Alwara-holder or the Terem-holder or”.

18. In section 17, omit “in cash”.

19. In section 21.-

(i) for words “Alwara holder, Terem holder,” wherever they occur substitute “landlord”.

(ii) in sub-section (3), for word “map” substitute “may”.

(iii) in sub-section (5), for word “therefor” substitute “thereof”.

20. In section 22. in sub-section (1).-

(i) in clause (a),omit “an Alwara or Terem, has been granted”.

(ii) omit clauses (f), (h) and (j).

21. omit section 23.

22. In section 24, in sub-section (1),omit “section 13 or”.

23. Omit section 25.

24. In section 26.-

(i) omit clause (i) of sub-section (1);

(ii) clause (ii) shall be numbered as clause (i);

(iii) in clause (iii) for figures “53” substitute “42”;

(iv) clause (iii) shall be renumbered as clause (ii).

25. In section 27, omit clause (v) of sub-section (1).

26. In section 29.-

(i) in sub-section (1), for word “member” substitute “manner”.

(ii) in sub-section (3), insert “either in one lump or in” after the word “allottee”.

27. In section 34. in sub-section (2).-

(i) for words “two hundred and fifty rupees” substitute “twenty five thousand”;

(ii) for words “may be leased out by the prescribed authority on behalf of the landlord in such manner and subject to such conditions (including a condition as to the payment of rent to the landlord) as may be prescribed, and every such lease shall be deemed to be a lease granted under section 32” substitute “shall vest with the Government free of all encumbrances”.

28. Omit sections 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 and 43.

29. In sections 44, 45, 46 and 47A for word “Collector” substitute “Appellate Authority”.

30. In section 45, in sub-section (3), for words “enquiryesednaspmayeem” substitute “summary enquiry, as he may deem”.

31. In section 46, for words “dh,ias,” and “aubmotu” substitute “order” and “suomotu”.

32. In section 47A.-

(i) after the word “Administrator” insert “or any person authorised by him in this behalf,”

(ii) before the words “his own cost” insert “at”;

(iii) omit “Parties rot not to be represented by legal by legal practitioners before prescribed authority etc.”.

33. In section 48, omit “while” appearing after the words “civil court”.

34. In section 50,-

(i) omit “or occupancy price” and “as a reference”.

(ii) omit “on the date of restoration referred to in clause(ii) of sub-section (5) of section 4” and “or on which the tenant is deemed to be the occupant of the land under section 42”.

35. In section 53, for words “five hundred” substitute “fifty thousand”.

36. In section 56, in sub-section (2). -

(i) omit clauses (a), (b), (g), (i), (p), (q), (r), (s), (t), (u) and (v);

(ii) in clause (c), omit “second”;

(iii) in clause (f), for the figures “5” and “13” substitute “2” and “14”;

(iv) in clause (k), omit “section 13, or”;

(v) in clause (w), for figure “55” substitute “45”.

[F. No. U-11025/2/2020-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.18 22:18:37 +05'30'